न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3339–पीबीआर/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 12–08–2014 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार वृत–2 बैरासिया जिला भोपाल के प्रकरण कमांक 4/अ–13/2013–14.

.....

अरविन्द सिंह आत्मज श्री प्रहलाद सिंह यादव
निवासी व कृषक ग्राम परसोरिया जागिर
तहसील बैरासिया जिला भोपाल म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

दिनेश कुमार आत्मज श्री बद्रीप्रसाद
निवासी ग्राम अररावती कृषक परसोरिया जागीर
तहसील बैरासिया जिला भोपाल

..... अनावेदक

.....

श्री आर.एन.मालवीय, अभिभाषक–आवेदक
श्री जगदीश जैन, अभिभाषक–अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 15/10/15 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार वृत–2 बैरासिया जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–8–14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा तहसीलदार वृत–2 बैरासिया जिला भोपाल के समक्ष संहिता की धारा 131 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसके स्वत्व व स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि ग्राम परसोरिया जागीर तहसील बैरासिया स्थित खसरा नम्बर 31/2/3 ख, 146/2, 147, 148, 149, 150 एवं 151 है । उक्त भूमियों पर जाने

के लिये पूर्व दिशा में बना मार्ग खसरा कमांक 153 से प्रारंभ है व खसरा कमांक 141/2/1 की मेढ़ से होते हुये बना है, जिसका वह पीढ़ी दर पीढ़ी से उपयोग कर रहा है । उक्त मार्ग राजस्व अभिलेखों में शासकीय गोहा के रूप में दर्ज है । उक्त भूमि का पटटा हल्कू को प्रदान किया गया और हल्कू द्वारा वर्ष 2007 में मोहम्मद राशिद को उपरोक्त भूमि का विकय कर दिया गया है तथा मोहम्मद राशिद द्वारा अनावेदक को भूमि विकय कर दी गई है । जनवरी, 2014 तक आवेदक प्रश्नाधीन रास्ते का उपयोग करता रहा है और अचानक अनावेदक द्वारा रास्ता बन्द कर दिया गया है । आवेदक के पास अपनी भूमि पर आने–जाने के लिये अन्य कोई रास्ता नहीं है, अतः रास्ता खुलवाये जाये । तहसीलदार न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 4/अ–13/2013–14 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई साथ ही संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत अंतरिम रूप से रास्ता खुलवाये जाने का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 12–8–2014 को अंतरिम आदेश पारित कर आवेदक की ओर से संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन निरस्त किया जाकर प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत किया गया। तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि नायब तहसीलदार द्वारा अपने आदेश में वैकल्पिक मार्ग का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि आवेदन पत्र निरस्त करने में तहसीलदार को वैकल्पिक मार्ग बताना चाहिये था । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन मार्ग शासकीय गोहा के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, जिसका आवंटन कर दिया गया है तथा अनावेदक द्वारा रास्ता बन्द कर दिया गया है, जिससे आवेदक अपनी भूमि पर कृषि कार्य हेतु नहीं पहुँच पा रहा है । तर्क में यह भी कहा गया कि अनावेदक के विकय पत्र में स्पष्ट लिखा है कि पूर्व में कच्चा रास्ता है, इससे भी प्रश्नाधीन रास्ता होने की पुष्टि होती है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक की ओर से ऐसे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं कि रास्ता मौके पर नहीं है और वह भूमि उसके

स्वत्व की भूमि है । उनके द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर अंतरिम रूप से रास्ता खुलवाये जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि इन्हीं पक्षकारों के मध्य पूर्व में प्रकरण प्रचलित हुआ है तथा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त हुआ है, जिसकी अपील भी निरस्त हो गई है । अतः पूर्व में पारित आदेश अंतिम हो चुका है । यह भी कहा गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वैकल्पिक रास्ता प्रतिवेदन में बताया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा अभी अंतरिम आदेश पारित किया गया है और प्रकरण का अंतिम रूप से निराकरण किया जाना है, जहॉ आवेदक को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के आदेश दिनांक 12–8–2014 के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 131 के अन्तर्गत रास्ते का प्रकरण प्रचलित रहते हुये आवेदक द्वारा अन्य वैकल्पिक मार्ग से अपने स्वत्व की भूमि पर पहुँचकर सोयाबीन की फसल बोई गई है, इससे स्पष्ट है कि आवेदक के लिये अपने कृषि भूमि पर जाने हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है। अतः तहसीलदार द्वारा अंतरिम रूप से रास्ता खोले जाने संबंधी संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त करने में पूर्णत वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है । इस संबंध में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि तहसीलदार द्वारा आदेश में वैकल्पिक मार्ग का कोई उल्लेख नहीं किया गया है क्योंकि तर्क के दौरान यह स्थिति स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा वैकल्पिक मार्ग का उपयोग किया गया है । जहॉ तक आवेदक के विद्वान अभिभाषक के इस तर्क का प्रश्न है कि प्रश्नाधीन मार्ग शासकीय गोहा के रूप में है, जिसे अनावेदक को आवंटित कर दिया गया है एवं अनावेदक के विकय पत्र में पूर्व में कच्चा रास्ता होने का उल्लेख है । उक्त तर्क प्रकरण के गुणदोष से

संबंधित है जिनका निराकरण प्रकरण में अंतिम आदेश पारित करते समय किया जायेगा । दर्शित परिस्थितियों में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से हस्तक्षेप किये जाने योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार वृत–2 बैरासिया जिला भोपाल द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 12–8–14 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर